न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 132/2022

अनवान मुकदमा –

1. धाराराम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. निरंजनराम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. सुरजन राम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. पूर्णा राम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

- - प्रतिवादी

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादीगण
2. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी

-:: निर्णय :-

दिनांक – 22.06.2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 139 आर.डी. के खाता सं. 41 के प.नं. 3/343 के किला नं. 6 ता 20 की कुल 3.795 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 दर्ज राजस्व अभिलेख है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण को पिता श्री बुधराम से प्राप्त शुदा कृषि भूमि है इसलिए वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख मे घरेलू नाम अनुसार वादी सं. 1 का नाम धारूराम, वादी सं. 2 का नाम निरंजन सिंह, वादी सं. 3 का नाम सुरजाराम, वादी सं. 4 का नाम पूर्णराम दर्ज हुआ जबकि वादीगण के पहचान संबंधी दस्तावेज मे नाम के शब्द वर्णन मे अलग है दर्ज है। धारूराम व धाराराम, निरंजनराम व निरंजन सिंह, सुरजनराम व सुरजाराम, पूर्णाराम व पूर्णराम एक ही व्यक्ति के नाम है तथा एक ही व्यक्ति से संबंध रखते है। वादीगण के परिवार मे उक्त अन्तर नाम के अन्य कोई व्यक्ति / सदस्य नही है अर्थात वादीगण के पहचान संबंधी दस्तावेज मे वादीगण के नाम सही दर्ज है। चित्रप्रति दस्तावेज की प्रति भी संलग्न वाद पत्र की गई है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:54:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि पर बिना किसी विवाद के चला आ रहा है लेकिन वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड एवं पहचान संबंधी दस्तावेज मे अलग - अलग दर्ज होने से वादीगण को कृषि विकास हेतू ऋण सुविधा लेने, भूमि संबंधी राजकीय अनुदान लेने मे काफी परेशानी होती है तथा वादीगण

22/06/2022

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे वादी सं. 1 धारूराम पुत्र बुधराम के स्थान पर धाराराम, वादी सं. 2 निरंजन सिंह पुत्र बुधराम के स्थान पर निरंजनराम पुत्र बुधराम, वादी सं. 3 सुरजाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सुरजनराम पुत्र बुधराम, वादी सं. 4 पूर्णराम पुत्र बुधराम के स्थान पर पूर्णा राम पुत्र बुधराम दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :– घोषित किया जावे कि चक 139 आर.डी. के खाता सं. 41 के प.नं. 3/343 के किला नं. 6 ता 20 की कुल 3.795 हैक. मे वादी सं. 1 धारूराम पुत्र बुधराम के स्थान पर धाराराम, वादी सं. 2 निरंजन सिंह पुत्र बुधराम के स्थान पर निरंजनराम पुत्र बुधराम, वादी सं. 3 सुरजाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सुरजन राम पुत्र बुधराम, वादी सं. 4 पूर्णराम पुत्र बुधराम के स्थान पर पूर्णा राम पुत्र बुधराम दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 139 आर.डी. के खाता सं. 41 के प.नं. 3/343 के किला नं. 6 ता 20 की कुल 3.795 हैक. मे वादी सं. 1 धारूराम पुत्र बुधराम के स्थान पर धाराराम, वादी सं. 2 निरंजन सिंह पुत्र बुधराम के स्थान पर निरंजनराम पुत्र बुधराम, वादी सं. 3 सुरजाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सुरजन राम पुत्र बुधराम, वादी सं. 4 पूर्णराम पुत्र बुधराम के स्थान पर पूर्णा राम पुत्र बुधराम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:54:00 IST
Reason: SelfAttested

22/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :– 132/2022

अनवान मुकदमा –

1. धाराराम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. निरंजनराम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. सुरजन राम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. पूर्णा राम पुत्र बुधराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

– – प्रतिवादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 22.06.2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर राजपैरोकार स्टेट इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 139 आर.डी. के खाता सं. 41 के प.नं. 3/343 के किला नं. 6 ता 20 की कुल 3.795 हैक. मे वादी सं. 1 धारूराम पुत्र बुधराम के स्थान पर धाराराम, वादी सं. 2 निरंजन सिंह पुत्र बुधराम के स्थान पर निरंजनराम पुत्र बुधराम, वादी सं. 3 सुरजाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सुरजन राम पुत्र बुधराम, वादी सं. 4 पूर्णराम पुत्र बुधराम के स्थान पर पूर्णा राम पुत्र बुधराम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे [illegible] अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:54:00 IST
Reason: SelfAttested

22/06/2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा